पत्र संख्या–11/आ02–आ0नी0–I–10/2015 सा0प्र0 11687

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक 30.8.16

विषय :– **बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को प्रमाण–पत्र निर्गत करने के निमित सक्षम प्राधिकार एवं प्रक्रिया का निर्धारण।**

महोदय,

निदेशानुसार उपुर्यक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–13185 दिनांक–03.09.2015 द्वारा बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत हैं, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात् बिहार लोक सेवा आयोग एवं नियुक्ति हेतु परीक्षा/साक्षात्कार संचालित करने वाले प्राधिकार के समक्ष यह जिज्ञासा है कि किस सक्षम प्राधिकार से निर्गत स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/ नाती/नतीनी होने का प्रमाण–पत्र मान्य किये जायेंगे।

2. उल्लेखनीय है कि गृह (विशेष) विभाग के परिपत्र संख्या–404 दिनांक–05.09.2006 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी महानुभावों को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों एवं उनके दो पीढ़ी के व्यक्तियों को यथा–पति अथवा पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री, पोता अथवा पोती एवं नाती अथवा नतीनी को परिचय पत्र जारी कने का निदेश पूर्व में दिया गया जा चुका है। परिचय पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया का उल्लेख इस परिपत्र की कंडिका–1 से 3 में किया गया है। साथ ही गृह (विशेष) विभाग के एक अन्य परिपत्र संख्या–248 दिनांक–11.07.2007 द्वारा सरकार का यह निर्णय भी पूर्व से परिचारित है कि स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारियों के रूप में दो पीढ़ी तक के व्यक्तियों को यथा–पति अथवा पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री, पोता अथवा पोती एवं नाती अथवा नतीनी सभी व्यक्तियों को चाहे इनकी संख्या जितनी हो, को परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा। साथ ही शादी–शुदा पुत्री भी आवेदन करती हों, तो उन्हें भी परिचय पत्र निर्गत किया जाना है।

3. सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी अधिकृत होंगे। समाहरणालय स्तर पर जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी इसे निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

4. गृह (विशेष) विभाग के उपर्युक्त अंकित परिपत्रों के आलोक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को निम्न रूप से निर्धारित की जाती है :–

(1) यदि स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के पास इस आशय का परिचय पत्र पूर्व से उपलब्ध नहीं हो, तो गृह (विशेष) विभाग के परिपत्र संख्या–404 दिनांक–05.09.2006 एवं 248 दिनांक–11.07.2007 के आलोक में सर्वप्रथम वांछित परिचय पत्र प्राप्त करेंगे तथा इस परिचय पत्र के आधार पर राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करेंगे, जिसके आधार पर जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी विहित प्रपत्र में वांछित प्रमाण–पत्र निर्गत कर सकेंगे।

4-11

(2) यदि स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के पास पूर्व से उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र उपलब्ध हो, तो इस परिचय पत्र के आधार पर सीधे संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेंगे तथा उन्हें दुबारा परिचय पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पेंशन प्रदान करते हुए पेंशन भुगतान आदेश (P.P.O.) निर्गत की जाती है, जिसका P.P.O. क्रमांक होता है तथा संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा उत्तराधिकारी परिचय पत्र पर भी क्रमांक अंकित किया जाता है। अतः निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र में स्वतंत्रता सेनानी का P.P.O. क्रमांक एवं स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी को निर्गत परिचय पत्र का क्रमांक भी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, ताकि इस प्रावधान का दुरूपयोग न हो सके।

स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने के प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिए किये जाने वाले आवेदन एवं निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का मॉडल प्रारूप इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

29/8/2016

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–I–10/2015 सा0प्र0 11687 **पटना–15, दिनांक**– 30.8.16

प्रतिलिपि–ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(2) अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

29/8/2016

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–I–10/2015 सा0प्र0 11687 **पटना–15, दिनांक**– 30.8.16

प्रतिलिपि–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/राजकीय अभिलेखागार, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/8/2016

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–I–10/2015 सा0प्र0 11687 **पटना–15, दिनांक**– 30.8.16

प्रतिलिपि–अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे अधिकार सॉफ्टवेयर में अपलोड करने की कृपा की जाय।

29/8/2016

सरकार के अपर सचिव।

स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन करने हेतु आवेदन प्रारूप :–

---

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :–..
2. पिता/पति का नाम :–..
3. आवेदक/आवेदिका के दादा/दादी/नाना/नानी का नाम (जो गृह मंत्रालय, भारत सरकार से स्वतंत्रता सेनानी घोषित हों) :–..
4. स्वतंत्रता सेनानी का पता :– ग्राम/मुहल्ला:–..

   पंचायत/वार्ड नंम्बर:–..

   पोस्ट:–.......................... थाना:–..........................

   जिला:–.......................... राज्य :–..........................
5. स्वतंत्रता सेनानी का P.P.O. संख्या :–...................................
6. आवेदक/आवेदिका का स्वतंत्रता सेनानी के साथ संबंध :–..............................
7. आवेदक/आवेदिका का स्थायी पता :– ग्राम/मुहल्ला:–....................................

   पंचायत/वार्ड नंम्बर:–..

   पोस्ट:–.......................... थाना:–..........................

   जिला:–.......................... राज्य :–..........................
8. आवेदक/आवेदिका का वर्त्तमान पता :– ग्राम/मुहल्ला:–..................................

   पंचायत/वार्ड नंम्बर:–..

   पोस्ट:–.......................... थाना:–..........................

   जिला:–.......................... राज्य :–..........................
9. जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत परिचय पत्र का क्रमांक एवं वर्ष :–.................

   (छायाप्रति संलग्न करें)

स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती, नाती/नतीनी का प्रमाणपत्र–

कार्यालय का नाम..

प्रमाणपत्र संख्या–..................... दिनांक–...........................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री................................ पिता/पति/श्री.............................. ग्राम/मु0 (वार्ड नं0).......................... पोस्ट..........................प्रखंड....................... अनुमंडल................................. जिला............................ स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी.................................... पी0पी0ओ0 संख्या–.......................... के पोता/पोती/नाती/नतीनी हैं।

2. श्री (आवेदक का नाम).................................. को इस कार्यालय से स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र निर्गत है, जिसका क्रमांक–.............../वर्ष–................ है।

जिला पदाधिकारी द्वारा
मनोनित पदाधिकारी का हस्तारक्षर।

FILE PATH D/DHARMRAJ (IPN)